

Dated: Mandi-175001, the 25 April, 2022

To

The Divisional Forest Officer,
Joginder Nagar Forest Division,
Joginder Nagar, Distt. Mandi (H.P.)

Subject:

Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/SCH/49067/2020).

Sir,

With high reverence, I have the honour to invite a reference to your office letter No. /RK/FCA/456 dated 18.04.2022 on the subject cited above whereby it has been directed to send point-wise compliance report alongwith all undertakings as required by GOI under 1st stage approval.

In this regard, point-wise compliance report is submitted as hereunder alongwith undertakings as annexed with this report.

1. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रखने के लिए बाध्य होगा।
2. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आवश्यक गैर वन भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा सौंप दिया जा चुका है।
3. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 2000 tall plants का पौधारोपण कार्य compartment/ Survey no. 53A/09, DPF Chhej khobla, Forest Beat/RangeBlock Dharampur, Joginder Nagar Forest Division, Tehsil Dharampur, Distt Mandi, Himachal Pradesh में करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त इनके दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ of 2000 पौधे (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा करवा दी गई है। जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा ताकि प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बच जाये।

(ख) (1). यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी0ए0 क्षेत्र के सही Compartment No./खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

4. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करवा दी गई है । इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित करने हेतु बाध्य होगा एवं इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान कर दिए जा चुके हैं ।
5. यह कि इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5-2/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol-1), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.00 ha वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि जमा करवा दी गई है ।

(ख) यह कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राशि जमा करवा दी जाएगी ।

6. यह कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में भविष्य में अगर कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा ।
7. That in the event of reviewing and revising the NPV calculation sheet in accordance with MoEF & CC letter dated 6-01-2022 by the state Government for the purpose of obtaining administrative approval for Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, the same shall be uploaded on PARIVESH portal.

8. यह कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 05-03/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06-01-2022 के अनुसार (एन0पी0वी0) दरों में संशोधन किया गया है । यदि मंत्रालय द्वारा भविष्य में उक्त आदेशों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण (NPV) राशि जमा करवाने के लिए बाध्य होगा ।
9. That KML files of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, to be diverted, the CA area, the proposed SMC work, the proposed catchment area, treatment area and the WLMP area has been uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner projects or submitting compliance report for seeking stage-II approval.
10. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अपने व्यय पर अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर हरियाली सुनिश्चित करने बाबत बाध्य होगा ।
11. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधीश मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु बाध्य होगा ।
12. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों के शून्य पातन करने के लिए बाध्य होगा ।
13. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए बाध्य होगा ।
14. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवाए गए धन को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा करवा दिए गए हैं ।
15. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा, को प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा ।
16. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगा कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदलेगा ।

17. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने लिए बाध्य होगा ।
18. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन देने हेतु बाध्य होगा ।
19. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाने हेतु बाध्य होगा ।
20. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करने के लिए बाध्य होगा ।
21. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ण रूप से अनुपालना करने के लिए बाध्य होगा ।
22. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर करने हेतु एवं इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंके जाने के लिए बाध्य होगा ।
23. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं जिसके अधीन जरूरी अनुमति लेना आवश्यक होगा को प्राप्त करने हेतु बाध्य होगा ।
24. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न शर्तों की अनुपालना हेतु दी गई वचनबद्धताओं में से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या: 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 में दर्शाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवश्यक कार्यावाही अम्ल में लाई जाने हेतु सम्बन्धित विभाग हर प्रकार से मुक्त होगा ।



(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

1. कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रखने के लिए बाध्य होगा।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

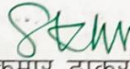
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

2. कि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आवश्यक गैर वन भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा सौंप दिया जा चुका है ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

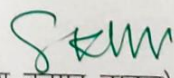
25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

3. (क) कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 2000 tall plants का पौधारोपण कार्य compartment/ Survey no. 53A/09, DPF Chhej khobla, Forest Beat/RangeBlock Dharampur, Joginder Nagar Forest Division, Tehsil Dharampur, Distt Mandi, Himachal Pradesh में करने हेतु बाध्य होगा । इसके अतिरिक्त इनके दस वर्षों तक रख- रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ of 2000 पौधे (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा करवा दी गई है । कुल रू0 7,00,622/- चालान के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं । चालान की प्रतियां संलग्न की जाती हैं । जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा ताकि प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बच जाये ।

(ख) (1). कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी0ए0 क्षेत्र के सही Compartment No./खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

4. कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करवा दी गई है । कुल रू0 7,00,622/- चालान के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं । चालान की प्रतियां संलग्न की जाती हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित करने हेतु बाध्य होगा एवं इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान कर दिए जा चुके हैं ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

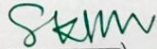
25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

6(क) कि इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5-2/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol-1), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.00 ha वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि जमा करवा दी गई है। कुल रू0 7,00,622/- चालान के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं। चालान की प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

(ख) कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राशि जमा करवा दी जाएगी।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

7. कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में भविष्य में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

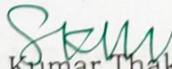
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

Undertaking

I, Sudesh Kumar Thakur, presently working as Dy. Director (Higher Education), Mandi, Distt. Mandi do hereby undertake as under :-

8. That in the event of reviewing and revising the NPV calculation sheet in accordance with MoEF & CC letter dated 6-01-2022 by the state Government for the purpose of obtaining administrative approval for Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, the same shall be uploaded on PARIVESH portal.

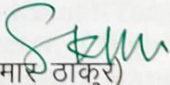

(Sudesh Kumar Thakur)
Dy. Director of Higher Education,
Mandi, District Mandi HP

Dated Mandi the 25 April, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

9. कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 05-03/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06-01-2022 के अनुसार (एन0पी0वी0) दरों में संशोधन किया गया है । यदि मंत्रालय द्वारा भविष्य में उक्त आदेशों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण (NPV) राशि जमा करवाने के लिए बाध्य होगा।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

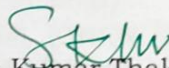
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

Undertaking

I, Sudesh Kumar Thakur, presently working as Dy. Director (Higher Education), Mandi, Distt. Mandi do hereby undertake as under :-

10. That KML files of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, to be diverted, the CA area, the proposed SMC work, the proposed catchment area, treatment area and the WLMP area has been uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner projects or submitting compliance report for seeking stage-II approval.

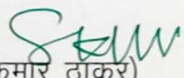

(Sudesh Kumar Thakur)
Dy. Director of Higher Education,
Mandi, District Mandi HP

Dated Mandi the 25 April, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

11. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अपने व्यय पर अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर हरियाली सुनिश्चित करने बाबत बाध्य होगा।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

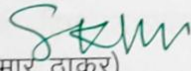
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

12 कि प्रयोक्ता अभिकरण एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधीश मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

13. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों के शून्य पातन करने के लिए बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

14. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

15. कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवाए गए धन को ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा करवा दिए गए हैं ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

16. कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा, को प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा ।



(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

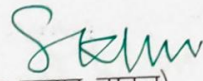
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

17. कि प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगा कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदलेगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

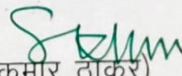
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

18. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने लिए बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

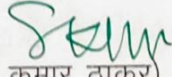
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

19. कि प्रयोक्ता अभिकरण मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन देने हेतु बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

20. कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाने हेतु बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

21. कि प्रयोक्ता अभिकरण केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)

उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

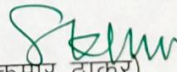
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

22. कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ण रूप से अनुपालना करने के लिए बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

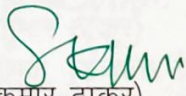
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

23. कि प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर करने हेतु एवं इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंके जाने के लिए बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

24 कि प्रयोक्ता अभिकरण यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं जिसके अधीन जरूरी अनुमति लेना आवश्यक होगा को प्राप्त करने हेतु बाध्य होगा ।


(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-

मण्डी

25 अप्रैल, 2022

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidyalaya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूँ :-

25. कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न शर्तों की अनुपालना हेतु दी गई वचनबद्धताओं में से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या: 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 में दर्शाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवश्यक कार्यावाही अमल में लाई जाने हेतु सम्बन्धित विभाग हर प्रकार से मुक्त होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)

उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

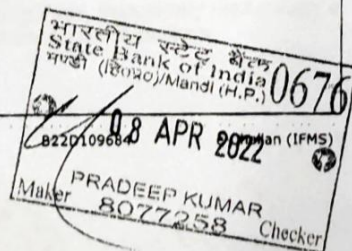
दिनांक:-

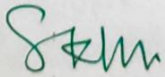
मण्डी

25 अप्रैल, 2022

 E-CHALLAN Government Of Himachal Pradesh Department of Finance Treasuries, Accounts & Lotteries		
Valid Upto	12-Apr-2022	Remitter Copy
HIMGRN	B22D109684	Date 06-04-2022 11:31:47AM
Department	Forest	
BarCode		
Period	06-04-2022 To 16-04-2022	
DDO	MD100-818- FOREST DIVISION J.NAGAR(WANDP)	
Head	₹ Amount	
0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT	104348	
Total/Net Amount	104348	
In Words	One Lakh Four Thousand Three Hundred Forty Eight	
Payee Detail		
Licence/Vehicle/Permit/TIN no. OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -Departmental charges on CA(C/O K.V. at Dharampur)		
Remitter Name:-	DDHE Mandi	
Address:-	O/O Dy. Director of Higher Education, Mandi, Distt. Mandi Mob: 1905222118	
FOR USE IN RECEIVING BANK		
Bank CIN No	HIMGRN	B22D109684
Amount	₹ 104348	
Bank	MANAGER, SBI MANDI	
Cheque-DD-No.		

NIC-HP




Dy. Director of Higher Education
Mandi, Distt. Mandi (H.P.)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

UTR No. -> PUNB122097159033
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-04-2022

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	6249067529
MoEF/SG File No.	FC/HPB/09/14/2021
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION, LALPANI SHIMLA, HPShimla
Amount(In Rs)	596274/-

Amount In Words : Five Lakh Ninety-Six Thousand Two Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150706249067529 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
Email: cb0371@unionbankofindia.com



60270512534

8/4/22
Dy. Director of Higher Education
Mandi, Distt. Mandi (H.P.)